न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 135/2024 निर्णय दिनांक 18.11.2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/282

शारदा पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थीया—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़।
2. रामचन्द्र पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रार्थीया।
2. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 की ओर।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान्जी उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि प्रार्थीया के पति रामकिशन पुत्र नारायण जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 7.7400 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मे स्थित थी। प्रार्थी के पति रामकिशन ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 7.7400 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे से उतरी तरफ की 5.0600 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 08.01.2015 को विक्रय की तथा भौतिक रूप से मौका पर कब्जा काश्त दिया जिसके नये खसरा नम्बर 161/165 तादादी 2.6800 हैक्टेयर व 160/165 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा कायम हुए। प्रार्थीया के पति रामकिशन पुत्र नारायण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 661/165 तादादी 2.6800 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ को प्रार्थीया को उपहार स्वरूप दे दी तथा मौका पर कब्जा काश्त दे दिया। मूल खसरा नम्बर 165 के उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा काश्त है, तथा दक्षिणी तरफ प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। प्रार्थीया ने दिनांक 02.07.2024 को अपने खेत का नक्शा ऑनलाईन निकाला तो प्रार्थीया को ज्ञात हुआ की प्रार्थीया का खातेदारी खेत मूल खसरा संख्या 165 का पूर्वी हिस्सा तरमीम हुआ है, जो मौका काश्त के बिलकुल विपरित है। हल्का पटवारी अप्रार्थी का अधिनस्थ है तथा राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शो का संधारण अप्रार्थी के निर्देशन में ही राजस्व कर्मचारीयों द्वारा किया जाता है। प्रार्थी के पास प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 661/165 तादादी 2.6800 हैक्टेयर ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34.01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थनापत्र श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन यिा गया है खसरा नम्बर 661/165 क्षेत्रफल 2.6800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 660/165 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मौका पर कब्जा काश्त अनुसार मूल खसरा नम्बर 165 के उतरी तरफ 5.0600 हैक्टेयर व 2.6800 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ तरमीम शुद्धि का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थी एवं स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 661/165 क्षेत्रफल 2.6800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 660/165 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की तरमीम मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:01 IST
Reason: SelfAttested